

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर मु. टोंक

(पीठासीन अधिकारी सुश्री पिकी मीणा, आर.ए.एस. लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान : अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत मुख्यालय-चन्दलाई

प्रकरण सं०-48/2018


उनवान राजेश बनाम तहसीलदार, टोंक

दिनांक :- 28.05.2018

## —: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चन्दलाई व भू.अ.नि. देवली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार टोंक की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्न राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्न लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश किये जाते हैं :-

कं.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टी (अशुद्ध प्रविष्टी)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई	27	राजूलाल पुत्र कजोड़	राजेश पुत्र कजोड़
2	रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई	46	राजूलाल पुत्र कजोड़	राजेश पुत्र कजोड़


  
सुश्री पिकी मीणा  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, मु० टोंक

प्रकरण सं०-48/2018 उनवान राजेश बनाम तहसीलदार, टोंक

दिनांक :- 28.05.2018

प्रतिलिपी:-

1. तहसीलदार टोंक को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी राजेश पुत्र कजोड़ जाति बैरवा निवासी ग्राम रहीमपुरा उर्फ धोलीतलाई पंचायत, चन्दलाई तहसील टोंक को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, मु० टोंक